निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 44 वर्ष 2018-2019

यह निरीक्षण प्रतिवेदन, अधिशासी अभियंता, स्थापना खंड सिचाई विभाग रुड़की, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, स्थापना खंड, सिचाई विभाग रुड़की, के माह 10/2016 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मनोज कुमार सिंह पर्यवेक्षक एवं श्री पंकज कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 30/08/2018 से 11/09/2018 तक श्री एस के त्यागी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री मनोज कुमार नेगी व मनोज कुमार सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/ पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 26/10/2016 से 08/11/16 तक श्री दिनेश रमोला वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10/2015 से 9/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2016 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः सिचाई विभाग का कार्य यह की निर्माण कार्य के रूप मे सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, पूर्ण जिला हरिद्वार एव पूर्ण उत्तराखंड ।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (अवशेष)
2015-2016	-	75.29	417.27	415.27	1773.84	1727.87	1.99	121.26
2016-2017	-	121.26	401.88	394.05	860.89	1181.76	7.82	(-) 199.61
2017-2018	-	(-) 199.61	341.09	175.43	1852.76	1474.91	-	178.24

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (धनराशि रु लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम (नाबार्ड)	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
		शून्य			

(iii) गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई का आवंटन स्रोत , राज्य सरकार है ।

(iv) इकाई की श्रेणी “A” है।

(v) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाय)

(1) सचिव , सिचाई विभाग उत्तराखंड शासन ।

तकनीकी संवर्ग मे:

(2) प्रमुख अभियंता (विभागाध्यक्ष) (3) मुख्य अभियंता, गढ़वाल क्षेत्र स्तर -2, मुख्य अभियंता, कुमायु हल्द्वानी, मुख्य अभियंता प्रशिक्षण संस्थान कलागड़,मुख्य अभियंता परियोजना गढ़वाल यमुना कालोनी देहारादून, मुख्य अभियंता परिकल्प रुड़की , मुख्य अभियंता यांत्रिक देहरादून, अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल देहारादून ।

(4) अधीक्षण अभियंता, सिचाई कार्य मण्डल रुद्रप्रयाग (5) अधिशासी अभियंता (6) साहयक अभियंता

(7) कनिष्ठ अभियंता

गैर तकनीकी संवर्ग मे :

(1) वित्त नियंत्रक , (2) खंडीय लेखाकार (3) सहायक लेखाधिकारी (4) प्रशासनिक अधिकारी (5) लेखाकार (6)प्रधान सहायक ,(7) वरिष्ठ साहयक ,(8) कनिष्ठ सहायक।

(vi) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, स्थापना खंड सिचाई विभाग रुड़की को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता, स्थापना खंड सिचाई विभाग रुड़की, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 6/2017 एव 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) .....का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन ..... "व्यय के आधार पर"..... के आधार पर किया गया।

(viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971

(डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक 25/8/18 से 28/8/18 तक निरीक्षण किया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 3/18 तथा 9/15 तक की गई।
5. फार्म 51: माह 8/18 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः- (धनराशि रु मे)।

   भाग प्रथम ... Nil

   भाग द्वितीय .. Nil

   खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 8/18 के अन्त में (धनराशि रु मे)

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ` 68,69,473.00

   (ख) सामग्री क्रय शून्य

   (ग) नगद परिशोधन शून्य

   (घ) निक्षेप (रु मे) ` 12976628.00

   (ङ) भण्डार (-)` 26,18,877.00

भाग- 2(ब)

प्रस्तर- 1 :- रु 68,69,473 विविध अग्रिम वसूली हेतु लंबित राशि का प्रकरण एवं स्टॉक सामग्री का रु (-) 26,18,877.00 का समायोजन नहीं किया जाना ।

(क) वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 578 के अनुसार विविध अग्रिम को निम्न चार श्रेणियों मे विभाजित किया गया है (1) उधार विक्रय (2) डिपॉजिट मद मे प्राप्त राशि से अधिक व्यय (3) हानि , त्रुटि के कारण हानि,आदि (4) अन्य मद मे ,किसी भी प्रकार से शासकीय हानि , इन सभी प्रकरणो मे अधिकारियों /कर्मचारियो /फर्मो/ठेकेदारो /अन्य विभागो के विरुद्ध विविध अग्रिम डाला जाता है एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 584 के अनुसार इन सभी मदो मे विविध अग्रिम की धनराशि की वास्तविक वसूली की जानी चाहिए या किसी कारण से वसूली न हो पाने की दशा मे सक्षम अधिकारी के आदेश से जब तक बट्टे खाते मे न डाला जाए तब तक विविध अग्रिम लेखे से न हटाया जाए।

कार्यालय के लेखा अभिलेखो की नमूना लेखापरीक्षा मे पाया गया कि निम्न विवरण मासिक लेखा माह 7/2018 के अनुसार अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध विविध अग्रिम अन्य मद, फर्मों/ ठेकेदारों के विरुद्ध विविध अग्रिम की धनराशि रु 68,69,473 लम्बी अवधि से वसूली हेतु लंबित है इस संबंध मे विगत लेखापरीक्षा मे भी प्रस्तर जारी किया गया था परंतु समायोजन की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

इस संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि -पत्राचार किया जा रहा है । उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि वसूली लम्बी अवधि से नहीं की जा सकी है। अत: रु 68,69,473 लाख की वसूली लंबित रहने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

(ख) वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 6 के नियम 188 के अनुसार स्टॉक मे अवशेष सामग्री की घोषणा सक्षम अधिकारी द्वारा कर दी जाती है तो सामग्री को अन्य कार्यालय या अन्य विभाग को उपयोग हेतु अधिसूचना जारी की जानी चाहिए ओर स्टॉक हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए, यह कार्यवाही प्रकाशन की तिथि से 6 माह मे पूर्ण हो जानी चाहिए ।

कार्यालय की नमूना लेखापरीक्षा मे पाया गया कि- स्टाक पंजिका वर्ष /माह 7/2018 मे स्टाक अवशेष के रूप मे स्टाक रु (-) 26,18,877.00 की सामग्री का प्रकरण लंबे समय से पड़ा है। खंड स्तर पर समायोजन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । यह धनराशि/सामग्री किन कारणो से अवशेष है। इस संबंध मे इंगित करने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि- आगामी माहों

मे समायोजन कर लिया जाएगा उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि सामग्री का क्रय उसी समय किया जाना चाहिए जब सामग्री की उपयोग होने की सूचना स्वीकृत आगणन मे प्रावधानित हो, यदि सामग्री अवशेष है तो इसका अर्थ यह है कि- सामग्री का क्रय बिना आवश्यकता के किया गया है ।

अत: रु (-) 26,18,877.00 लाख की अवशेष सामग्री का प्रकरण उच्च अधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है

भाग 2 ब

प्रस्तर संख्या 2:- रु 2,38,622 उपकर की वसूली नहीं किया जाने का प्रकरण।

श्रम आयुक्त/सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम भवन, हल्द्वानी के पत्र संख्याः 1861/छः–24–बी0ए0ओ0सी0/2010 दिनांक 15 जून 2012 के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यो जिसमें सरकारी एवं अर्द्धसरकारी विभागों द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य भी सम्मिलित है में नियोजित श्रमिकों को हितलाभ दिये जाने का प्रावधान है। इस हेतु उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। निर्माण श्रमिकों को देय हितलाभ बोर्ड की कल्याण निधि से दिये जाएगें। बोर्ड की कल्याण निधि में धन की व्यवस्था हेतु भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण उपकर अधिनियम 1996 एवं केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी उपकर नियमावली 1998 के अन्तर्गत निर्माण लागत का एक प्रतिशत उपकर के रुप में संग्रह करके संग्रहित धनराशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से श्रम भवन हल्द्वानी प्रेषित किया जाएगा। इकाई की लेखापरीक्षा अवधि माह 10/2016 से 07/2018 तक की रोकड बही तथा निर्माण कार्यो हेतु भुगतानित देयकों मे चयनित माह 3/2017 एव 6/2017 की नमूना लेखापरीक्षा मे पाया गया कि रु 2,38,62256 के सापेक्ष 1% की दर से रु 2,38,622 उपकर की वसूली नहीं की गयी थी ,इसके अतिरिक्त भी उपकर की वसूली नहीं की गयी थी । इस सम्बंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया की उक्त अवधि मे त्रुटिवश उपकर का प्रावधान आगणन मे नहीं किए जाने के कारण संबन्धित वाउचर से कटौती नहीं की गयी । वर्तमान मे सभी आगणन मे प्रावधान किया जा रहा है ओर कटौती की जा रही है । उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि लेखापरीक्षा अवधि माह 10/2016 से माह 7/2018 मे श्रम उपकर की कटौती का कोई साक्ष्य खंड स्तर पर उपलब्ध नहीं था ।

अत : रु 2,38,622 उपकर की वसूली नहीं किया जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
77/2016-17	-	1,2,	-
81/2015-16	-	1,	
योग	**00**	**3**	**0**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			अनुपालन आख्या बाद मे प्रेषित की जाएगी।	

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता स्थापना खंड , सिचाई विभाग रुड़की तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। **तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
(1)	श्री एन. के. यादव	अधिशासी अभियंता	26/10/2016 से 27/06/2016
(2)	श्री प्रबोध कुमार वर्मा	अधिशासी अभियंता	28/06/2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता स्थापना खंड ,सिचाई विभाग रुड़की , को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 ,को प्रेषित की जाए ।

4. **विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।**

क्रमांक	**नाम**	**अवधि**
(1)	श्री राजीव गोयल	01.08.2016 से 13.09.2017 तक
(2)	श्री देवेन्द्र सिंह रावत	13.09.17 से 13.08.2018 तक
(3)	श्री देवेन्द्र सिंह	14.08.2017 से 03.09.2018 तक
(4)	श्री राजीव गोयल	04.09.2018 से वर्तमान तक

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - 2